

(8)

संख्या-1109/एक-10-2026

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 23-09-2026

विषय:- लीड कन्सल्टेन्ट की सेवाएं संविदा पर लिए जाने हेतु बजट आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-885/का०अनु०का०अनु०वरि०सला०/2026-27 दिनांक 09.09.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र दिनांक 03.09.2026 में की गयी पृच्छा के क्रम में संशोधित आगणित सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत परियोजना लीड कन्सल्टेन्ट की सेवाएं संविदा पर लिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के अवशेष आगामी 06 माह (माह अक्टूबर, 2026 से माह मार्च, 2027 तक) हेतु रु० 13,20,000/-का बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 01.07.2026 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण/परियोजना आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रधानमंत्री 10 सूत्रीय एजेण्डा के प्रभावी क्रियान्वन एवं अन्य विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 01 लीड कन्सल्टेन्ट की सेवाएं संविदा पर लिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026- 27 में प्रश्नगत परियोजना हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रु० 26.40 लाख में से अवशेष आगामी 06 माह (माह अक्टूबर, 2026 से माह मार्च, 2027 तक) हेतु कुल रु० 13,20,000/ (रुपये तेरह लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

(1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-32-02/2026-NDM-I दिनांक 31.07.2026 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ०प्र० द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

- (2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ०प्र०, लेखनऊ व सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों का होगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (7) उक्त परियोजना के अन्तर्गत निविदा जारी किये जाने एवं कार्यादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (9) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सम्बन्ध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एन०डी०एम०ए० द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 13,20,000/- (रूपये तेरह लाख बीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250001010500-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by

ARUN PRAKASH

Date: 23-09-2026 18:52:21

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-30/09/2026

प्रेषण संख्या:- 1109
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1109
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (द्वैविधित्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	24-वृत्त निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	1320000 1320000	1320000 1320000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1320000 1320000	1320000 1320000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह लाख बीस हजार

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी